चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांकः गोप0/2118
दिनांक : 12/11/2025

प्रेस विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की वर्ष 2021 तक की समस्त परीक्षाओं संस्थागत/व्यक्तिगत/व्यावसायिक/भूतपूर्व परीक्षार्थी (बैक पेपर/स्पेशल पेपर) की अनुचित साधन प्रयोग की समस्त उत्तर पुस्तिकाऐं **दिनांक 20.11.2025** के उपरान्त डम्प कर दी जायेगी। यदि किसी परीक्षार्थी को कोई आपत्ति हो तो प्राचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक के माध्यम से विलम्बतम् **दिनांक 18.11.2025** तक अनुचित साधन प्रयोग अनुभाग, गोपनीय विभाग को सप्रमाण प्रार्थना–पत्र अवश्य प्रस्तुत कर दे। **उक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त वर्ष 2021 तक की अनुचित साधन प्रयोग की उत्तर पुस्तिकायें डम्प कर दी जायेंगी, तदोपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में किसी भी परीक्षार्थी के किसी भी प्रत्यावेदन पर न तो विचार किया जायेगा ओर न ही कोई दावा मान्य होगा।**

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः–

01. निम्नलिखित समाचार पत्रों के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें :–
    अ. हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली – अंग्रेजी संस्करण।
    ब. दैनिक अमर उजाला, मेरठ संस्करण।
    द. हिन्दुस्तान, मेरठ संस्करण।
02. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. आशुलिपिक वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
04. आशुलिपिक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
05. आशुलिपिक परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
06. प्राचार्य/निदेशक समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
07. उप कुलसचिव (मान्यता/परीक्षा/लीगल सैल) को इस आशय के साथ प्रेषित कि यदि किसी कोर्ट केस में किन्हीं उ0पु0 की आवश्यकता हो तो विवरण सहित उत्तर पुस्तिका अनुभाग को सूचित करें, जिससे उनकी उत्तर पुस्तिकाऐं सुरक्षित रखी जा सकें।
08. विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ।
09. उप कुलसचिव(गोप0/समस्त प्रभारी गोप0) विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपूर्ण परीक्षाफल को उक्त अवधि में पूर्ण करा लें।
10. प्रेस प्रवक्ता, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
11. प्रभारी सामान्य विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
12. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस आशय से कि इसे वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
13. प्रभारी जनसूचना विभाग को सूचनार्थ।

सहा0 कुलसचिव (गोप0)